ISSN - 2231-1130
वर्ष–षष्ठम् ; सितम्बर–2015

बौद्ध संघ की भिक्षुणियां एवं उनकी वेशभूषा

डॉ0 वन्दना संत*

शोध सार

बौद्ध ग्रन्थों विशेष रूप से थेरीगाथा, उसकी टीकाओं, विनयपिटक एवं धम्मपद से थेरियों (भिक्षुणियों) के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। ये ग्रन्थ उनके दैनिक क्रियाकलापों, धार्मिक कार्यों, रहन–सहन, खान–पान, वेश–भूषा, भिक्षुओं के साथ उनके वार्त्तालाप, जन–सामान्य के साथ व्यवहार आदि की जानकारी प्रदान करते हैं । संघ का पवित्र वातावरण भिक्षुणियों को आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता था। हृदय की पवित्रता व शुचिता का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। पूर्ण संयम से रहती हुई ये भिक्षुणियाँ सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का अनुपालन करती थीं । उनके वस्त्रों में भी यही सादगी प्रतिबिम्बित होती थी। प्रस्तुत शोध पत्र में संघ मे निवास करने वाली भिक्षुणियों की वेशभूषा एवं उससे सम्बंधित नियमों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

महत्वपूर्ण बिन्दुः– त्रिचीवर, उत्तरासंग, अन्तर्वसक, चरणपावुरण, संकच्छिक, उदकसाटिका

संघ का जीवन भौतिक वस्तुओं से परे था। एक भिक्षुणी को सिर्फ **आठ** चीजों को अपने पास रखने की अनुमति थी– **तीन चीवर (वस्त्र), भिक्षापात्र, उस्तरा, सुई, कटिसूत्र** या **कमरबन्द** एवं **पानी छानने वाला कपड़ा**[1]**।** इन सभी वस्तुओं को जीवनयापन हेतु आवश्यक व पर्याप्त माना गया। इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु को व्यक्तिगत रूप से रखने की अनुमति नहीं थी।

वस्तुतः संघ के शांतिपूर्ण जीवन हेतु प्रत्येक भिक्षुणी सादे वस्त्र धारण करती थी जो एक समान होते थे। भिक्षुणियों के लिए **त्रिचीवर** का विधान रखा गया था[2]। सभी भिक्षुणियों के पास आवश्यक रूप से एक सुई होती थी

* सहायक प्रोफेसर–प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व, नारी शिक्षा निकेतन पी0जी0 कॉलेज ,लखनऊ

यदि उसका चीवर फट जाता था तो सुई की मदद से उसे सिलती थी। चीवर सदैव लम्बा व ढीला ढाला होता था। इसे त्रिचीवर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें तीन वस्त्र होते थे। इनमें से एक लम्बा लबादा होता था, जिसे सबसे ऊपर पहना जाता था। इसके अतिरिक्त दो अन्य वस्त्र थे। ऊपर का या बाहरी वस्त्र **उत्तरासंग** कहलाता था एवं नीचे का व अन्दर का वस्त्र **अन्तर्वसक** कहलाता था। तीनों वस्त्र सम्मिलित रूप से त्रिचीवर कहलाते थे। चीवर सादे कपड़े का ही बनाया जाता था। इसमें किसी प्रकार की कढ़ाई, छापेदार डिजाइन या अलंकरण नहीं किया जाता था। चूंकि संघ में भिक्षुणी उच्च अध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति हेतु अग्रसर होती थी अतः यह आवश्यक था कि उनके वस्त्रों का रंग हल्का हो जो चित्त को शांति प्रदान कर सके। बौद्व ग्रन्थों में कई स्थानों पर हल्के पीले रंग के चीवर का भी उल्लेख प्राप्त होता है। संघ के सदस्यों को पूरे नीले, गाढ़े पीले, लाल, काले या भूरे रंग के वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं थी।[3]

त्रिचीवर को भिक्षुणियों की पहचान माना जाता था। जब भी कोई भिक्षुणी भिक्षा हेतु बाहर जाती थी तो उसे अनिवार्य रूप से चीवर धारण करना होता था। पहले कुछ भिक्षुणियां अन्तः व बाह्य वस्त्र पहनकर ही बाहर चली जाती थी एवं लबादा नहीं पहनती थी। उनके ऐसा करने पर जनसाधारण उनकी निंदा करते थे। तब यह घोषणा कर दी गयी कि प्रत्येक भिक्षुणी को पूर्ण चीवर धारण करना अनिवार्य होगा। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो पाचित्तिय का दोष माना जाता था।[4] भिक्षुणियां प्रायः बाहर जाते समय एक वस्त्र **संकच्छिक** पहनती थीं। यह वस्त्र गरदन से नाभि तक होता था। इसका उद्देश्य शरीर का ऊपरी भाग आवृत रखना था। कम से कम जब भिक्षुणी गांव जाए तो उसे यह वस्त्र अवश्य पहनना चाहिए। एक बार एक भिक्षुणी गांव गयी अचानक आयी तेज हवा से उसका वस्त्र मुंह पर आ गया जिससे उसकी कमर का हिस्सा अनावृत हो गया यह देखकर एक पुरुष ने कटाक्ष किया – 'आह इस स्त्री की कमर कितनी सुन्दर है'। पुरुष के इस ताने से वह भिक्षुणी उपहास का पात्र बन गयी।[5] तब भविष्य में इस प्रकार की

घटनाओं से बचने हेतु संकच्छिक को पहनना अनिवार्य कर दिया गया।

संघ में जो वस्तुएं भिक्षुणियों को अनिवार्य रूप से दी जाती थीं उन पर सिर्फ भिक्षुणी का ही अधिकार होता था। किसी भी भिक्षुणी को दूसरी भिक्षुणी का चीवर नहीं लेना चाहिए। जो भिक्षुणी दूसरी भिक्षुणी के साथ चीवर बदलकर बाद में कहे जो तुम्हारा हो वह तुम्हारा रहे, जो मेरा है वह मेरा हो। ऐसा कहकर वह भिक्षुणी चीवर छीन ले या छिनवाए तो निस्सगिय पाचित्तिय का दोष होगा।[6] यदि किसी भिक्षुणी ने चीवर तैयार होने के लिए दिया है तो चीवर के तैयार होकर मिल जाने पर वह अतिरिक्त चीवर को दस दिनों से अधिक नहीं रख सकती। चीवर के तैयार होकर मिल जाने पर यदि भिक्षुणी को बिना समय का चीवर का कपड़ा प्राप्त हो जाए तो वह उसे ग्रहण कर सकती है। उस कपड़े का चीवर उसे दस दिनों के अन्दर बनवा लेना चाहिए। प्रत्याशा होने पर कमी की पूर्ति हेतु मास भर भिक्षुणी उसे रख सकती है। इससे अधिक रखने की अनुमति नहीं है। यदि किसी भिक्षुणी का चीवर छिन जाए या फट जाए तो ऐसी खास अवस्था में वह अज्ञातक गृहस्थ या गृहस्थिनी से स्वयं को चीवर देने के लिए कह सकती है। खास अवस्था के अतिरिक्त किसी भी भिक्षुणी का चीवर मांगना निस्सगिय पाचित्तिय का दोष माना जाता था।[7] अन्य कई अवस्थाओं में पाचित्तिय दोष माना गया – यदि किसी गृहस्थ या गृहस्थिनी ने किसी भिक्षुणी को चीवर प्रदान करने हेतु धन रखा हो और अमुक भिक्षुणी पहले ही जाकर उस गृहस्थ या गृहस्थिनी से मनचाहा चीवर बनवाने के लिए कहें तो, यदि किसी अज्ञातक गृहस्थ या गृहस्थिनी ने किसी भिक्षुणी को दो चीवर दान हेतु धन रखा हो तो वह भिक्षुणी पहले ही जाकर दोनों चीवर के धन को मिलाकर मनचाहा चीवर बनवाने के लिए कहें तो।[8] वास्तव में भिक्षुणियों के लिए सादे चीवर का विधान था जिसमें मनचाहा फेरबदल निषेध था जिससे संघ का अनुशासन बना रहे।

प्रायः बहुत से लोग भिक्षुणियों को चीवर दान दिया करते थे। यदि राजा, राज्य कर्मचारी, गृहस्थ या ब्राह्मण चीवर के लिए धन देकर किसी दूत या सन्देशवाहक को भिक्षुणी के पास भेजें तो उसे यह कह देना चाहिए कि वह

सिर्फ समय के अनुसार चीवर प्राप्त करती है, धन नहीं।[9] ऐसी स्थिति में भिक्षुणी को अपना कामकाज करने वाले का पता दे देना चाहिए जो उसके लिए धन से चीवर तैयार कर दें। बाद में भिक्षुणी को बनाने वाले के पास जाकर यह कहना चाहिए कि उसे चीवर की आवश्यकता है। चीवर के लिए भिक्षुणी को कामकाज करने वाले के पास अधिक से अधिक छः बार चुपचाप खड़े हो जाना चाहिए। उससे अधिक प्रयास करने की अनुमति नहीं थी। कार्तिक की त्रैमासी पूर्णिमा के आने से दस दिन पहले ही यदि किसी भिक्षुणी को पांच से अधिक चीवर प्राप्त होते हैं वह उसे फाजिल समझकर ग्रहण कर सकती है और चीवर काल तक रख सकती है। उसके पश्चात् उसे अतिरिक्त चीवर रखने की अनुमति नहीं थी। ऐसा करने पर उस भिक्षुणी पर पचित्तिय का दोष माना जाता था।[10]

कभी कभी भिक्षुणी पर अन्य भिक्षुणी के चीवर को तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी जाती थी। ऐसे में भिक्षुणी को दूसरी भिक्षुणी का चीवर जल्दी ही तैयार करवा देना चाहिए। थेरीगाथा में भिक्षुणियों के लिए एक वस्त्र **कंचुक** का उल्लेख मिलता है।[11] गांव जाते समय प्रत्येक भिक्षुणी को यह वस्त्र धारण करना होता था।[12] वस्तुतः संघ में भिक्षुणियों के वस्त्र निश्चित परिमाण के होते थे।[13] **लंगोट** के विषय में भी विवरण मिलता है कि यह बुद्वके बित्ते से चार बित्ता लम्बा एवं दो बित्ता चौड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार चीवर के लिए विधान था कि वह बुद्वके बित्ते से नौ बित्ता लम्बा एवं छः बित्ता चौड़ा होना चाहिए। किसी भी भिक्षुणी को बुद्व के चीवर के बराबर या उससे बड़ा चीवर बनवाने की अनुमति नहीं थी। यदि भिक्षुणी बड़ा चीवर बनवाए तो उसे काट देना पाचित्तिय है। भिक्षुणियों का वस्त्र चारों तरफ से ढका हुआ होना चाहिए जिससे शरीर का कोई भाग अनावश्यक रूप से दिखायी न दे। प्रत्येक भिक्षुणी को गांव जाते समय सिर ढक लेना चाहिए। भिक्षुणियों के लिए ऋतुकाल का अलग वस्त्र होता था, जिसका उपयोग करने के पश्चात् उसे भली भांति धोकर रख देना चाहिए।[14] इस प्रकार संघ के अथवा स्वयं के सामान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करना चाहिए।

संघ में सभी भिक्षुणियों के लिए एक ही रंग के चीवर का विधान था किन्तु कपड़े की रंगाई करने के कारण भिक्षुणियों के वस्त्रों के रंग में भिन्नता दिखायी पड़ती है। कुछ विवरणों में एक अन्य वस्त्र का उल्लेख मिलता है। यह वस्त्र लबादे के समान होता था जिसे भिक्षुणियां लपेट लेती थीं इसे **चरणपावुरण** कहा जाता था।[15] यह लबादे जैसा वस्त्र इतना बड़ा होता था कि दो भिक्षुणियों के लिए पर्याप्त था परन्तु ऐसा करने की आज्ञा नहीं थी। दो भिक्षुणियों को आपस में चीवर का अदान प्रदान नहीं करना चाहिए। किसी भी भिक्षुणी को नाराजगी में अथवा ईर्ष्यावश, जानबूझकर या अनजाने में दूसरी भिक्षुणी के चीवर का नुकसान नहीं करना चाहिए। एक बार एक भिक्षुणी ने दूसरी भिक्षुणी का चीवर भिगो दिया।[16] इससे वह भिक्षुणी काफी नाराज हुई। दूसरे के अधिकार की वस्तु को नुकसान पहुंचाने के कारण उस भिक्षुणी को दोषी माना गया। इस प्रकार संघ में प्रत्येक सदस्य के अधिकार को सम्मान देना अत्यंत आवश्यक माना गया। किसी के भी चीवर को चुराना अपराध था। किसी भी भिक्षुणी को किसी भी भिक्षु से चीवर नहीं लेना चाहिए चाहें वे आपस में रिश्तेदार क्यों न हों। प्रायः भिक्षु भिक्षुणी मरने के समय अपना चीवर संघ को सौंप देते थे।[17] इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक भिक्षु भिक्षुणी जीवित रहते थे तो आठ वस्तुओं पर उनका अधिकार होता था। उनकी मृत्यु के पश्चात् ये वस्तुएं संघ को सौंप दी जाती थीं।

थेरीगाथा, उनकी टीकाओं, विनयपिटक एवं अन्य विवरणों से ज्ञात होता है कि भिक्षुणियों को आभूषण धारण की अनुमति नहीं थी। वस्तुतः श्रृंगार करना, आभूषण धारण करना आदि सांसारिक स्त्रियों के लिए हैं जिनका सन्यासी जीवन में कोई औचित्य नहीं है। सन्यासिनियों का जीवन सादा, उच्च एवं दिगभ्रमित करने वाली वस्तुओं से परे होना चाहिए। जिससे उनका हृदय शांत रह सकें। भिक्षुणियों को **संघाणी** पहनने की अनुमति नहीं थी। इसकी तात्पर्य एक प्रकार की माला से है। थेरीगाथा एवं उसकी टीकाओं में आभूषणों का विवरण इस प्रकार दिया गया है – जो सिर, हाथ, पैर, गले, नितम्बों पर आते हों अथवा धारण किए जाते हों। भिक्षुणियों को कमरबन्द भी

नहीं लटकाना चाहिए। **भिक्षुणियों को वीलिव पटट (बांस के बने पट्ट की पोंछ), चर्म पट्ट (चमड़े का कपड़ा), दुस्सपट् (थान), दुस्सवेणी (कपड़े को गूंथकर), दुस्सपट्टी (झालर), चोल वेणी, सूत की वेणी एवं सूत की पट्टी** नहीं लटकाना चाहिए।[18] ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि पहले भिक्षुणियाँ संभवतः झालरदार वस्त्र व करधनी लटकाती थीं किन्तु लोग उपहास बनाते थे और कहते थे कि भिक्षुणियां इस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं जैसे गृहस्थ स्त्रियां। तब से यह नियम बना दिया गया कि भिक्षुणियों को झालरदार वस्त्र पहनने एवं करधनी पहनने की अनुमति नहीं है।[19] जो भिक्षुणी पहनेगी उसे दुक्कट का दोष होगा।

चाहें किसी प्रकार भी रास्ता क्यों न हो उन्हें चप्पल या जूता नहीं पहनना चाहिए। गांव जाते समय सिर्फ रोगिणी भिक्षुणी चप्पल या जूते पहन सकती थी[20]। ये जूते अलंकरणविहीन सादे होते थे। ऋतुमती भिक्षुणी को गद्दीदार चारपाइयों, चौकियों पर बैठने की अनुमति नहीं थी। ऐसी भिक्षुणियों को कटिसूत्र धारण करना चाहिए[21]। बुद्ध ने भिक्षुणियों को स्नान के वस्त्र बुनवाने की अनुमति दी जिसे पहनकर ही स्नान किया जाने लगा। इसे **उदकसाटिका** कहा जाता था। यह एक प्रकार की साड़ी थी जो भगवान के बित्ते से चार बित्ता लम्बी व दो बित्ता चौड़ी होती थी[22]। श्रावस्ती की उपासिका विशाखा ने भी भिक्षुणियों के लिए स्नान वस्त्र की महत्ता समझते हुए तथागत से आठ वरों में से एक भिक्षुणियों के स्नान वस्त्र को देने की इच्छा रखी जिसे तथागत ने स्वीकार कर लिया।[23]

बुद्ध का दर्शन आत्मवादी, ब्रह्मवादी और ईश्वरवादी दर्शन नहीं है, इसलिए बुद्ध के दर्शन में निराशावाद नहीं है। भिक्षुणियों के जीवन में भी श्रम की, पुरूषार्थ की प्रतिष्ठा है। उनके जीवन में भोगवाद या इन्द्रियासक्ति का कोई स्थान नहीं है। उनके जीवन में सुन्दरता बाह्य–सौन्दर्य में नहीं अपितु आंतरिक सौन्दर्य में एवं मन की शुद्धता और पवित्रता में है। इसलिए भिक्षुणियों की काया काषायवस्त्र (चीवर) में भी चमकती है[24]।

संदर्भ –

1. आई0 बी0 हार्नर, विमेन अण्डर प्रिमिटिव बुद्धिज़्म्,1989, मोतीलाल बनारसीदास प्रा0 लिमिटेड, नई दिल्ली पृ0 214
2. वही, पूर्वोद्धत पृ0 222
3. वही, पूर्वोद्धत पृ0 223
4. वही, पूर्वोद्धत पृ0 224
5. वही, पूर्वोद्धत
6. राहुल सांकृत्यायन, विनयपिटक (अनुवाद), 2006, त्रिपिटक प्रकाशन प्रतिश्ठान, दीक्षा भूमि सन्देश, नागपुर, पृ0 82

   निस्सगिय पाचित्तिय के अन्तर्गत तीस अपराध बताए गए हैं । यह भिक्षा पात्र, चीवर, प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से सम्बन्धित हैं।
7. वही, पूर्वोद्धत पृ0 83

   पाचित्तय के अन्तर्गत 166 पापों का वर्णन है। इस भाग में वर्णित अपराधों से मुक्ति संघ के समक्ष औपचारिक रूप से अपराध की स्वीकृति से हो जाती थी।
8. वही, पूर्वोद्धत पृ0 84–85
9. वही, पूर्वोद्धत पृ0 82 – 83
10. वही, पूर्वोद्धत पृ0 85
11. वही, पूर्वोद्धत पृ0 92
12. वही, पूर्वोद्धत
13. वही, पूर्वोद्धत पृ0 98
14. वही, पूर्वोद्धत पृ0 89
15. आई0 बी0 हार्नर, , पूर्वोद्धत, पृ0 224
16. वही, पूर्वोद्धत पृ0 226
17. वही, पूर्वोद्धत

18. राहुल सांकृत्यायन, विनयपिटक, पृ0 596
19. आई0 बी0 हार्नर, विमेन अण्डर प्रिमिटिव बुद्धिज़्म, पृ0 227
20. आई0 बी0 हार्नर, विमेन अण्डर प्रिमिटिव बुद्धिज़्म, पृ0 229
21. वही, पूर्वोद्धत पृ0 598
22. राहुल सांकृत्यायन, पूर्वोद्धत, पृ0 87
23. पॉल कारूस, बुद्ध गाथा, पृ0 70
24. विमलकीर्ति, थेरीगाथा,2006, सम्यक् प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 20